हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

बारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 122

बुधवार, 24 अगस्त, 2016/2 भाद्रपद, 1938(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

<u>समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)</u>

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

बैठक के प्रारम्भ होते ही कांग्रेस के विधायक श्री संजय रतन ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, कल जो घटना इस माननीय सदन में घटित हुई है, उस सम्बन्ध में विशेषाधिकार हनन के मामले बारे आपने क्या कार्रवाई की है, सदन को उस सम्बन्ध में अवगत करवाया जाए।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित निर्णय दियाः-

"माननीय सदस्य सर्वश्री संजय रतन, अजय महाजन और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने जो विशेषाधिकार हनन का मामला सदन में उठाया है वह कल दिनांक 23 अगस्त, 2016 को सभा के समक्ष घटित हुआ है। श्री रविन्द्र सिंह ने कल दिनांक 23 अगस्त, 2016 को सदन में अध्यक्षपीठ का निर्णय का बार-बार विरोध किया है तथा हठपूर्वक और जान बूझकर सभा के कार्य में बाधा डाली है और सभा के नियमों का दुरूपयोग किया है, उन्होंने सभा की सम्पत्ति को भी क्षति पहुंचाई है। माननीय सदस्य का व्यवहार लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरूद्ध है और इस माननीय सदन की परम्पराओं और नियमों के भी प्रतिकूल है। अतः श्री रविन्द्र सिंह, सदस्य को उनके द्वारा किए गए विशेषाधिकार हनन के लिए उन्हें वर्तमान सत्र की दिनांक 24 अगस्त, 2016 की बैठक तथा सत्र की शेष अवधि तक सभा की सेवा से निलम्बित किया जाता है।"

अब मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री रविन्द्र सिंह से आग्रह करता हूं कि वे सदन से बाहर चले जाएं।

इस निर्णय पर तुरन्त हस्तक्षेप करते हुए प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष ने माननीय अध्यक्ष से आग्रह करते हुए कहा कि जो श्री रविन्द्र सिंह, माननीय सदस्य को वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलम्बित किया गया है, यह लोकहित में नहीं है। माननीय सदस्य ने आवेश में आकर जो कुछ किया था वह बिल्कुल उनकी मन्शा नहीं थी। कृपया आप इस पर पुनर्विचार करें तथा इस प्रस्ताव को रद्द करें। श्री सुरेश भारद्वाज, मुख्य सचेतक एवं डा0 राजीव बिंदल ने भी उनकी बात का समर्थन किया।

(तत्पश्चात् पूर्वाह्न 11.45 बजे सदन की बैठक अपराह्न 12.45 बजे तक स्थगित की गई)

(अपराह्न 12.45 बजे सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

बैठक के पुनः आरम्भ होने पर अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः-

"सदन के स्थगन के दौरान माननीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह मेरे कार्यालय में आए और उन्होंने कहा कि पिछले कल सदन के अन्दर जो घटनाक्रम हुआ जिसमें माइक टूटने की घटना हुई है, उसके लिए मैं Unconditional Apology देता हूं। यह सब कुछ आवेश में हुआ है। मैं पांच बार इस माननीय सदन का सदस्य रहा हूं और मैंने संसदीय परम्पराओं का गरिमा के साथ वहन किया है। जो निलम्बन किया गया है उस पर आप कृपया पुनर्विचार करें।"

सदन के नेता माननीय मुख्य मन्त्री के विचारोपरान्त श्री सुधीर शर्मा, माननीय शहरी विकास मन्त्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि आज दिनांक 24 अगस्त, 2016 को श्री रविन्द्र सिंह जी माननीय सदस्य का सभा द्वारा किया गया निलम्बन समाप्त किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।
निलम्बन समाप्त हुआ।

12.55 PM

1. **प्रश्नोत्तरः**

(i) **तारांकित प्रश्नः**

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 2491, 2764, 2837, 2881, 2902 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 3380 से 3418 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए समझे गए तथा आज की कार्यवाही का हिस्सा बने।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1414 से 1427 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए समझे गए तथा आज की कार्यवाही का हिस्सा बने।

2. **कागजात सभा पटल परः**

(1) **श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री** ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम समिति का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन तथा बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 21 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन तथा बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण के 15वें वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. **सदन की समितियों के प्रतिवेदनः**

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **143वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित है तथा **सहकारिता विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **144वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित है तथा **सहकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **145वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त) पर आधारित है तथा **पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति (वर्ष 2016-17)** ने समिति का **21वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि समिति के 9वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित है तथा **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(3) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2016-17)** ने समिति का **58वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2014-15) जोकि समिति के 23वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित है तथा **हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद्** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(4) **श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सदस्य, कल्याण समिति (वर्ष 2016-17)** ने समिति का **27वां मूल प्रतिवेदन** जोकि प्रदेश में संचालित महिलाओं के लिए रोज़गार सह-आयोत्पादक प्रशिक्षण, स्वावलम्बन योजना की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(5) **श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति (वर्ष 2016-17)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **25वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **गृह विभाग** के आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति का **26वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **राजस्व विभाग** के आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है।

3(क) <u>विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदनः-</u>

श्रीमती आशा कुमारी, सदस्य, कार्य सलाहकार समिति ने समिति का बारहवां प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया।

प्रस्ताव स्वीकार।

4. <u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः-</u>

श्री सुरेश भारद्वाज ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

"नगर निगम शिमला के टैंक में दो साल पड़े रहे शव के कारण शहर के वी0आई0पी0 इलाकों में दूषित पेयजल की आपूर्ति" से उत्पन्न स्थिति।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1.) श्री अनिरूद्ध सिंह

माननीय शहरी विकास मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री सुरेश भारद्वाज ने स्पष्टीकरण पूछा।

माननीय मुख्य मन्त्री ने उत्तर दिया।

(अपराह्न 1.30 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक स्थगित हुई)

(अपराह्न 2.30 बजे सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

5. <u>सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयनः-</u>

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः-

"That in pursuance of the Section 18(f) of the Private Universities Act and Section 17(1) of the First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State Legislative Assembly, are to be elected by the State Legislature for the term of two years in the Governing Body of 1. Arni University, (Kathgarh (Indora),2. APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University (Shimla), 3.Baddi University of Emerging Sciences & Technologies, Baddi (Solan), 4.Bahra University, Waknaghat (Solan), 5. Career Point University, Tikker Kharwarian 6. Chitkara University, Kallujhanda, Barotiwala (Solan), 7.Eternal University, 8. Bathu (Una), 9. ICFAI (Institute of Chartered Financial Analysts of India) University, Kallujhanda, Barotiwala (Solan), 10.IEC (Indian Education Centre) University, Kallujhanda, Barotiwala (Solan), 11.Maharishi Markandeshwar University, Kumarhatti (Solan), 12. Manav Bharti University, Laddo, Sultanpur (Solan), 13.Sri Sai University, Palampur (Kangra) & 14. Shoolini University of Biotechnology & Management Sciences, Bajhol (Solan) for a term of two years commencing from the date of publication of their being as Members of the Governing body of the respective Private University subject to provisions of the first Statutes of the Private Universities."

प्रस्ताव स्वीकार।

6. <u>विधायी कार्यः-</u>

(I) <u>सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना</u>

श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 14)पुरःस्थापित हुआ।

(II) <u>सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक 13) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 6 तक विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक 13) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक 13) पारित हुआ।

2.50 PM

7. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्तावः-

श्री महेन्द्र सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

"प्रदेश के वर्तमान हालात एवं कानून व्यवस्था पर यह सदन विचार करे।"

माननीय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री द्वारा हस्तक्षेप।

माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री द्वारा हस्तक्षेप।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया :-

1.) श्री सतपाल सिंह सत्ती
2.) श्री महेश्वर सिंह
3.) श्री जगजीवन पॉल, मुख्य संसदीय सचिव
4.) डा0 राजीव बिंदल

माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा हस्तक्षेप।

(सांय 5.00 बजे सदन की बैठक सांय 6.00 बजे तक बढ़ाई गई)

5.) श्री किशोरी लाल
6.) श्री रणधीर शर्मा

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय मुख्य मन्त्री के उत्तर के दौरान सांय 6.00 बजे सदन की बैठक 6.15 तक बढ़ाई गई)

(सदन की बैठक अपराह्न 6.15 बजे शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)